

आदेश ब इजलास प्रकाश सजमुश्रीहित आई ए एस जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 1011/2022 (धारा 14 सिक्योरिटीआईजेसन)

आई जी एक सी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वितीय तल मानवभाषण प्लाजा सरदार पटेल मार्ग, जी-सीएम
एनएसडीसी बैंक के सामने, जयपुर।

प्राणी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मणेश नारायण माली

पता - दूकान नं जी-08, मातण्ड पल्लो, जे एस मार्केट, बदनपुरा, नगरपालिका सीमु, जिला जयपुर।
एवं 299, सामोद रोड, विमडी, मोरीजा, जयपुर।

2. श्रीमती माधवी देवी सीवी पत्नी श्री मणेश नारायण माली

पता - दूकान नं जी-08, मातण्ड पल्लो जे एस मार्केट, बदनपुरा, नगरपालिका सीमु, जिला जयपुर।
एवं 299, सामोद रोड, विमडी, मोरीजा, जयपुर।
एवं विमडी, ताहरील सीमु, मोरीजा, जयपुर।

अप्राणीगण

अपी एवं मास्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित

1. श्री के के सिंह, अधिवक्ता प्राणी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 08.02.2023

1. सत्रोप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्राणी अपी को पुनर्मुगतात
हेतु जमागत प्रतिमूति के रूप में अप्राणी श्रीमती माधवी देवी को स्वागित्त की संपत्ति दूकान नं
जी-08, मातण्ड पल्लो, जे एस मार्केट, करबा सीमु आबादी बदनपुरा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 183
वर्गमीट को बंधक रख कर दिनांक 18.02.2019 को राशि 11,43,000/- रुपये एवं दिनांक
24.08.2020 को राशि 02,13,162/- रुपये कुल राशि 13,56,162/- रुपये की ऋण सुविधा
उपलब्ध कराई गई थी। अप्राणी अपी द्वारा प्राणी वित्तीय संस्था को ऋण मुगतात करने से
असफल रहने पर अविनिगम की धारा 13(ड) के अन्तर्गत अप्राणी अपी को दिनांक 21.08.2022 को
रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने की बावजूद ऋण राशि मग ब्याज
मुगतात नहीं करने पर प्राणी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत
प्राणीगण प्रस्तुत कर अपने पास बंधक संपत्ति का भीतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु
आवश्यक पुलिस इमदान उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्राणीगण प्रस्तुत होने पर वरत रजिस्टर किया गया। भवावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मालीमाली
अवलोकन किया गया।

जयपुर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकाल) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 13,56,162/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 11,66,344/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.05.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती गायत्री देवी के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. जी-05, ग्राउण्ड फ्लोर, जे.एस. मार्केट, कस्बा चौमूं आबादी बदनपुरा, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 153 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
6. आदेश आज दिनांक 08.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५४७

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर